



बिहार विधान सभा

कार्य सूची

सप्तदश विधान सभा
द्वितीय सत्र

वृहस्पतिवार, तिथि 04 मार्च, 2021 ई०
13 फाल्गुन, 1942 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

प्रश्नोत्तर

1. अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

2. सर्वश्री सुदामा प्रसाद, महबूब आलम एवं अन्य ग्यारह सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार [शिक्षा विभाग] की ओर से वक्तव्य ।
[दिनांक 22 फरवरी, 2021 से स्थगित]
3. डॉ० रामानुज प्रसाद, स०वि०स० से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [सामान्य प्रशासन विभाग] की ओर से वक्तव्य ।
4. सर्वश्री मुरारी मोहन झा, मिथिलेश कुमार एवं अन्य छः सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [शिक्षा विभाग] की ओर से वक्तव्य ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

5. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 की धारा-57 के तहत बिहार लोकायुक्त (अन्वेषण) नियमावली, 2013 एवं बिहार लोकायुक्त (अन्वेषण) (संशोधन) नियमावली, 2020 की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखा जाना ।
6. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा-13(2) के तहत "बिहार लोक सेवाओं का अधिकार नियमावली, 2011" की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना ।
7. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-320(5) के तहत बिहार लोक सेवा आयोग (कार्य-सीमन) विनियमावली, 1957 में संशोधन से संबंधित अधिसूचना संख्या-10757, दिनांक-09.08.2018; 2654, दिनांक-26.02.2019 एवं 9794, दिनांक-22.07.2019 की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखा जाना ।

8. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 की धारा-19 सपठित बिहार प्रत्यायोजित विधान उपबंध अधिनियम, 2013 की धारा-21 के तहत बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2010; बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2011; बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2014; बिहार सचिवालय सेवा (सहायक ग्रेड प्रशिक्षण) (संशोधन) विनियमावली, 2014; बिहार सचिवालय सेवा (सहायक ग्रेड विभागीय परीक्षा) (संशोधन) विनियमावली, 2015; बिहार सचिवालय सेवा (सहायक ग्रेड प्रशिक्षण) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2015 एवं बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विनियमावली, 2017 की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखा जाना ।
9. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 की धारा-12 सपठित बिहार प्रत्यायोजित विधान उपबंध अधिनियम, 2013 की धारा-17 के तहत अधिसूचना संख्या- 2741, दिनांक- 25.03.2010; 13483, दिनांक- 12.12.2011; 824, दिनांक- 16.01.2015; 5192, दिनांक- 06.04.2015; 3135, दिनांक- 06.03.2018; 5031, दिनांक- 13.04.2018; 3216, दिनांक- 08.03.2019 एवं 15163, दिनांक-08.11.2019 की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखा जाना ।
10. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2014 की धारा 15(2) के तहत बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग नियमावली, 2015; बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) नियमावली, 2018 (अधिसूचना संख्या-13247, दिनांक- 04.10.2018); बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) नियमावली, 2018 (अधिसूचना संख्या-15672, दिनांक- 03.12.2018); बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) नियमावली, 2019 एवं बिहार तकनीकी सेवा आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तें) विनियमावली, 2019 की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखा जाना ।
11. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार समूह "घ" (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2010 तथा संशोधित अधिसूचना संख्या-1361, दिनांक 04.05.2011; बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2010; बिहार सरकारी सेवक आचार (संशोधन) नियमावली, 2011; बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली, 2014; बिहार उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों और भूतपूर्व न्यायाधीशों की घरेलू सहायता (संशोधन) नियमावली, 2020; बिहार न्यायायिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2020; बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति (संशोधन) नियमावली, 2020; बिहार जूडिशियल ऑफिसर्स कंडक्ट रूल्स, 2021; बिहार लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियमावली, 1960 में संशोधन से संबंधित अधिसूचना संख्या-12520, दिनांक- 17.11.2011; 3700, दिनांक- 06.07.2015; 11960, दिनांक- 17.08.2015 एवं 7511, दिनांक 07.06.2018 की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखा जाना ।
12. बिहार विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का (यदि हो) सभा के समक्ष रखा जाना ।
13. याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो) ।

मध्याह्न-विराम (1.00 बजे अपराह्न से 2.00 बजे अपराह्न)

वित्तीय कार्य

14. वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों [खंड-04 (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग; श्रम संसाधन विभाग; वित्त विभाग; पेंशन तथा वाणिज्य-कर विभाग)] पर वाद-विवाद एवं मतदान ।
[मांग एवं कटौती प्रस्ताव की सूची (पूरक खंड-04) अलग से वितरित की जा रही है]
15. अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो) ।

राज कुमार सिंह

सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-02/2021- 1091

/वि०स०, पटना, दिनांक- 3 मार्च, 2021 ई० ।

प्रतिलिपि :- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्रीगण / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के सचिव, बिहार/ कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / संसदीय कार्य विभाग / विधि (विधान) विभाग / निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग / महाधिवक्ता बिहार, पटना उच्च न्यायालय / लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली / सरकार के समस्त विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(राजीव कुमार)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-02/2021-

1091

/वि०स०, पटना, दिनांक- 3 मार्च, 2021 ई० ।

प्रतिलिपि :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के अवलोकनार्थ प्रेषित ।


(राजीव कुमार)

उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-02/2021-

1091


/वि०स०, पटना, दिनांक- 3 मार्च, 2021 ई० ।

प्रतिलिपि :- बिहार विधान सभा के निदेशक / उप सचिवगण/ अवर सचिवगण / श्रव्य एवं दृश्य इकाई, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित ।


(राजीव कुमार)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।


3-3-21